कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

सार्वजनिक नीलामी सूचना

जनपद न्यायालय परिसर, गाजीपुर के पूर्वी प्रांगण स्थित रजिस्ट्री कार्यालय के पीछे स्थित दो न्यायालय भवनों के मलवे की कीमत रू० 1,51,887.40/- तथा रजिस्ट्री कार्यालय के पश्चिम तरफ स्थित दो निष्प्रयोज्य भवन के पीछे स्थित हवालात के मलबे की कीमत रू० 36,176.70/- प्रांतीय खण्ड लोक निर्णाण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है को चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त करने तथा मलवा हटाने हेतु सार्वजनिक नीलामी दिनांक 28/01/2026 को दस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार में अपरान्ह 04.00 बजे नीलामी समिति, जनपद, न्यायालय गाजीपुर के उपस्थिति में करायी जायेगी।

नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति/ फर्म नीलामी किये जाने वाले भवन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे सायं तक कार्यस्थल पर आकर कर सकते हैं।

नीलामी की नियम एवं शर्ते निम्नवत हैं:-

1. प्रत्येक बोली दाता को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. नीलामी की बोली बोलने से पूर्व उपरोक्त भवन की भली भांती पहचान व निरिक्षण कर ले।
3. नीलामी में भाग लेने हेतु रु० 20,000/- की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा।
4. नीलामी केवल भवन एवं उसमे लगी अचल वस्तुओ के लिए ही है। फर्नीचर, फिक्स्चर्स, चल संपत्ति आदि नीलामी में सम्मिलित नहीं है। भूमि पर पूर्ण अधिकार न्याय विभाग का होगा।
5. सभी बोली दाताओ को सभी नियम एवं शर्तो के पालन का घोषणा पत्र देना होगा।
6. यदि भवन को तोड़ते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना / दुर्लभ वस्तुए प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल विभाग एवं पुलिस प्रशासन को देना होगा तथा ऐसी समस्त सम्पत्तियों पर अधिकार न्याय विभाग /सरकार का होगा।
7. भवन के तोड़ने का कार्य प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ही किया जा सकेगा।
8. भवन तोड़ते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता / फर्म / व्यक्ति की होगी।
9. भवन को तोड़ते समय सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
10. सम्बंधित बोलीदाता / फर्म/ व्यक्ति द्वारा ध्वस्त किये गए भवन के मलवे को समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसर से हटाना होगा।
11. किसी भी उच्चतम नीलामी बोली को सरसरी तौर पर विना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पास सुरक्षित है।
12. उच्चतम नीलामी बोली को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुमोदन उपरान्त ही अमल में लायी जायेगी और जो भी शर्ते माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसे मानना बाध्यकारी होगा।
13. नीलामी बोली माननीय उच्च नयायालय, इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करना होगा।
14. अपूर्ण एवं गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण नीलामी की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।
15. अन्य कोई भी शर्त जो नीलामी से पूर्व समिति द्वारा घोषित की जा सकती है, जिसे मानना सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

दिनाक – 13/01/2026

भवदीय,

13.01.26

(शक्ति सिंह –I)
अध्यक्ष, नीलामी समिति, जनपद, न्यायालय गाजीपुर /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1
जनपद न्यायालय, गाजीपुर

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखीत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित|

2- सिस्टम आफिसर जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद नयायालय , गाजीपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे|

3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गाजीपुर को जनपद गाजीपुर के वेबसाइट पर अपलोडकिये जाने हेतु ।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर चश्पा करने हेतु प्रेषित :-</u>

1- जिलाधिकारी, गाजीपुर |
2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर |
3- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर |
4- अध्यक्ष जिला पंचायत, गाजीपुर |
5- जिला सूचना अधिकारी , गाजीपुर |
6- तहसीलदार सदर, गाजीपुर |
7- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, गाजीपुर |
8- उपजिलाधिकारी, मु०बाद, गाजीपुर |
9- उपजिलाधिकारी, सैदपुर, गाजीपुर |
10- तहसीलदार, मु०बाद, गाजीपुर |
11- तहसीलदार सैदपुर, गाजीपुर |
12- उपजिलाधिकारी, जखनियां |
13- उपजिलाधिकारी, जमानियाँ |
14- तहसीलदार, जखनियां |
15- तहसीलदार, जमानियाँ |
16- केन्द्रीय नजारत, जनपद नयायालय, गाजीपुर |
17- नजारत, वाह्य नयायालय मु० बाद, गाजीपुर |
18- नजारत, वाह्य नयायालय सैदपुर, गाजीपुर |
19- ग्राम न्यायालय, जखनियां |
20-ग्राम न्यायालय, जमानियाँ |

दिनांक –13 /01/2026

भवदीय,
13.01.26
(शक्ति सिंह –I)
अध्यक्ष, नीलामी समिति, जनपद, न्यायालय गाजीपुर /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1
जनपद न्यायालय, गाजीपुर